रही हैं.

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मिलों की स्थापना की जाएगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाघ मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र रसाद यादव) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार देश के किसी भी भाग में चीनीं मिले स्थापित नहीं करती। तथापि यह नई चीनी मिलें स्थापित नहीं करती। तथापि, यह नई चीनी मिलें लगाने के लिए आशय पत्र/औघोगिक लाइसेस प्रदान करती हैं। वित्तीय वर्ष 1996-97 (31.1.97 तक) के दौरान बिहार राज्य में नई चीनी मिलें स्थापित करने के लिए उघोग मंत्रालय द्वारा 6 आशय पत्र जारी किए गए हैं।

Inappropriate price to farmers by FCI in Madhya Pradesh for "Swarna Dhan"

171. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether rice obtained from "Swarna Dhan" is purchased by rice mills in Chattisgarh of Madhya Pradesh as a fine quality and appropriate prices is paid to the farmers;

(b) whether the same quality of rice is categorised as coarse quality by the Food Corporation of India and inappropriate price is paid to the farmers which results in loss to them;

(c) if so, reasons thereof; and

(d) steps proposed to be taken to pay appropriate price for the rice to the farmers?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) to (d) The procurement of paddy/rice under Minimum Support Price (MSP) is made in accordance with the Group/ classification of paddy/rice based on the length/breadth ratio since Marketing season 1979-80 as per the recommendation of the I 'asubramaniarn Committee. Accordingly, paddy/rice varieties are classified in superfine, fine and common group.

The Swarna Dhan variety has not been classified by the Government of India for the State of Madhya Pradesh. However, the Food Corporation of India is procuring Swarna Dhan variety in Madhya Pradesh under common group on the basis of length/breadth ratio and is paid for. accordingly. The State Government is paying Rs. 15/- per quintal as bonus over and above the price fixed for common group of paddy. The procurement agencies including FCI have been instructed to procure the paddy/rice strictly in accordance with the single grade specification of paddy/rice issued by the Government of India for the kharif marketing season 1996-97 for Central Pool under the MSP.

गेहूं का कम उत्पादन और उसका निर्यात

172. **श्रीमती मालती शर्मा** :
श्री राजनाथ सिंह :

क्या खाघ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जनवरी 1997 को दैनिक जागरण में "गेहूं घोटालों की रकम दो सौ करोड़ हुई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया हैं:

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच हैं कि पिछले वर्ष के दौरान गेहूं का कम उत्पादन हुआ और इस प्रकार गोदामों में कम मात्रा में गेहूं भेजा गया। परन्तु इसके बावजूद सरकार ने गेहूं का निर्यात किया और बाद में सरकार को उसका आयात करना पड़ा और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और कितनी मात्रा में गेहूं निर्यात किया गया, इससे कितनी विदेशी मुद्रा आर्जित हुई तथा गेहूं के आयात के लिए कितनी व्यय किया गया?

खाघ मंत्री तथा नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजानिक वितरण मंत्री (श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जून, 1996 में यह अनुमान लगाया गया था कि रबी फसल 1995-96 में गेहू का

उत्पादन 1994-95 फसल की तुलना में काफी कम नहीं होगा। तथापि कृषि मंत्रालय ने सितम्बर, 1996 में सूचित किया था कि पिछले वर्ष में हुए 65.7 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में गेहूं का उत्पादन 62.6 मिलियन टन हुआ था। 1996-97 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी एजेंसिया द्वारा की गई की वसूली 1995-96 में हुई 12.3 मिलियन टन की वसूली की तुलना में 1996-97 में 8.2 मिलियन टन हुई थी अर्थात् उक्त वसूली 4.1 मिलियन टन कम थी।

1995-96 में देश से गैर-डुरूप गेहूं के निर्यात के लिए 25 लाख टन के सीमा निर्धारित की गई थी। शुरू में वर्ष 1996-07 के लिए भी यही सीमा निर्धारित की गई थी। जैसे ही मंडी में आमद और वसूली में कमी की प्रवृत्ति दिखाई दी गई सरकार ने 1996-97 के दौरान गैर-डुरूम गेहूं के निर्यात की सीमा घटाकर 10 लाख टन कर दी।

1.4.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पुल में गेहूं का अथशेष स्टाक लगभग 8 मिलियन टन था जबकि बफर स्टाक का मानदण्ड 3.7 मिलियन टन था। अप्रैल, 1996 में गेहूं के अथशेष स्टाक की अच्छी स्थिति और उत्पादन के सामान्य अनुमान को ध्यान में रखते हुए गैर-डुरूम गेहूं के लिए निर्यात की सीमा 10 लाख टन निर्धारित की गई थी जोकि 1995-96 में निर्धारित 25 लाख टन की सीमा से काफी कम थी। 1996-97 के दौरान (नवम्बर,1996 तक) देश का कुल निर्यात (डुरूम और गैर डुरूम दोनों) लगभग 11.5 लाख टन का होने की सूचना थी जिसका मूल्य 710 करोड़ रूपए था। सरकार ने सीधे निर्यात नहीं किया गेहूं का निर्यात सार्वजानिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी निर्यातकों द्वारा किया गया था।

देश में गेहूं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 1996-97 में 2 मिलियन टन गेहूं का आयात करने का निर्णय किया गया था ताकि मूल्यों में वृद्वि को रोका जा सके।

10 फरवरी, 1997 की स्थिति के अनुसार राज्य व्यापार निगम ने लगभग 16.75 लाख टन गेहूं के आयात के लिए अनुबंध कर लिए थे। भारतीय पत्तनों पर औसत लागत और भाड़ा मूल्य 6227 रूपए प्रति टन (लगभग) के स्तर का हैं। आयात पर खर्च की गई कुल राशि का पता आयात पूरा होने के बाद चलेगा।

Mrtpc's Allegation on FCI

175. SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether the Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission (MRTPC) has alleged that Food Corporation of India has been over charging customers and supplying inferior grainst;

(b) if so, the details thereof; and

(c) action taken to set aside money for public welfare as suggested by MRTPC?

THE MINISTER OF FOOD AND MINISTER OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI DEVENDRA PRASAD YADAV): (a) Yes, Madam, monopolies and REstrictive Trade Practices Commission (MRTPC) has issued notice to the Food Corporation of India on the basis of the C&AG Report that it has overcharged the consumers by issuing lower groups of rice in higher group especilly in the State of Kerala.

(b) The MRTPC has highlighted that the lower group stocks were issued in the higher group for which the rates of latter groups were charged, it was alleged that the Food Corporation of India has earned an amount of Rs. 418.71 lakhs and customers were overcharged to that extent.

(c) The Food Corporation of India has given a detailed reply to the MRTPC listing therein the procedure being followed in the issue of rice under Public Distribution System (PDS).

There is no excess amount received by the Corporation on account of issue of rice from lower group as higher group or *voice versa* since the same is adjusted in the amount of subsidy being given by the Government to the Corporation. The FCI has decided to issue the stocks of rice to the PDS only after the receipt of despatch documents by, the consignees